राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2042/2008/पाली.
2. अपील संख्या – 2043/2008/पाली.
3. अपील संख्या – 2044/2008/पाली.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कृष्णा ऑयल इण्डस्ट्रीज, झूठा, पाली. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/4/2014

निर्णय

ये तीनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 4, 6 व 5/आरएसटी/पाली/2007–08 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 13.6.2008 के विरूद्ध राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरिया एक्ट, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पेश की गयी हैं। इन तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से तिलहन आयात कर, उससे तेल व खल का निर्माण कर विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के राज्य से बाहर से आयातित तिलहन पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर की देयता मानते हुए वर्ष 2002–03 व 2003–04 के लिये प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12 व 35(1) के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.2.2006 को पारित किये जाकर निम्न तालिका अनुसार एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया :–

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	प्रवेश कर	ब्याज
2044/2008	4/आरएसटी	2002–03	37,811/–	1,335/–
2043/2008	6/आरएसटी	2003–04	9,157/–	3,437/–

लगातार.....2

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2003—04 के कर निर्धारण आदेश को संशोधित करने हेतु प्रवेश कर अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना—पत्र भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 21.8.2006 से अस्वीकार किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तीनों आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(30)एफडी/टैक्स—डिवी/2002—190 दिनांक 22.3.2002 के आलोक में, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 13.6.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिविरूद्ध, अविधिक, त्रुटिपूर्ण व रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज को अपास्त किया है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा आयातित तिलहन से करमुक्त खल का निर्माण कर विक्रय किया गया है, जिस पर अधिसूचना दिनांक 22.3.2002 लागू नहीं होती है एवं प्रवेश की देयता बनती है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रवेश कर व ब्याज पूर्णतया विधिसम्मत है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित तिलहन से तेल व खल का निर्माण कर विक्रय किया गया है एवं तेल के विक्रय पर कर अदा किया गया है। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.3.2002 के अनुसार प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानों के अनुसरण में उचित प्रकार से कर निर्धारण आदेश अपास्त किये हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इन प्रकरणों में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित तिलहन पर प्रवेश कर की देयता बनती है, अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(30)एफडी/टैक्स—डिवी/2002—190 दिनांक 22.3.2002 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर से आयातित कतिपय माल पर प्रवेश

लगातार.....3

कर से मुक्ति प्रदान की गई है, जिसमें "Oilseed and Edible oil for manufacturing or refining" भी शामिल है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित तिलहन का प्रयोग तेल व खल के निर्माण में करते हुए, विनिर्मित तेल पर निर्धारित दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किये जाने के कारण प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर व तदनुसार ब्याज का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं उक्त अधिसूचना के आलोक में प्रत्यर्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय आदेश दिनांक 13.6.2008 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
29/4/14